



राजस्थान—सरकार
निदेशालय संस्कृत शिक्षा राजस्थान जयपुर

द्वितीय तल, ब्लाक 6, शिक्षा संकुल, जे.एल.एन. मार्ग, जयपुर

फ़ोन: 0141-2704357 ईमेल: 0141-2704358 email :
director.sanskrit@gmail.com



क्रमांक:—निसंशि / संस्था.—5 / डीपीसी / पार्ट प. 13121 / 2024 /

दिनांक:—

॥ आदेश ॥

राजस्थान अधीनस्थ लिपिक वर्गीय सेवा नियम 1999 के नियम 32—33 के प्रावधानानुसार विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा चयनोपरान्त निम्नांकित मंत्रालयिक कर्मचारियों को प्रशासनिक अधिकारी से संस्थापन अधिकारी पद पर (पै—बेण्ड 15600—39100 ग्रेड पे 6000) लेवल संख्या 15 में विभागीय पदोन्नति आदेश राजकाज रेफ. 8390671 दिनांक 08.07.2024 के द्वारा पदोन्नति की गये कार्मिकों को उनके सम्मुख अंकित कार्यालय/संस्था में निम्नानुसार पदस्थापित किया जाता है।

क्र. सं.	नाम कर्मचारी मय कार्यरत स्थान	नवीन पदस्थापन स्थान
1.	श्री अजय पंवार संभागीय संस्कृत शिक्षाधिकारी कार्यालय, जयपुर संभाग, जयपुर	संभागीय संस्कृत शिक्षाधिकारी कार्यालय, कोटा संभाग, कोटा
2.	श्री गुरमुखदास भाटिया संभागीय संस्कृत शिक्षाधिकारी कार्यालय, जयपुर संभाग, जयपुर	निदेशालय संस्कृत शिक्षा विभाग राजस्थान, जयपुर
3.	श्रीमती मीना सोनी संभागीय संस्कृत शिक्षाधिकारी कार्यालय, उदयपुर संभाग, उदयपुर	संभागीय संस्कृत शिक्षाधिकारी कार्यालय, उदयपुर संभाग, उदयपुर
4.	श्री हरलाल मीणा संभागीय संस्कृत शिक्षाधिकारी कार्यालय, बीकानेर संभाग, बीकानेर	संभागीय संस्कृत शिक्षाधिकारी कार्यालय, जोधपुर संभाग , जोधपुर
5.	श्रीमती गीता भभाणी संभागीय संस्कृत शिक्षाधिकारी कार्यालय, अजमेर संभाग, अजमेर	संभागीय संस्कृत शिक्षाधिकारी कार्यालय, अजमेर संभाग, अजमेर
6.	श्री विष्णु प्रसाद शर्मा राज.महाराज.आचार्य.संस्कृत. महाविद्यालय जयपुर	राजकीय महाराज आचार्य संस्कृत महाविद्यालय, जयपुर

- नोट:— 1. पदोन्नत प्रशासनिक अधिकारी को पदोन्नति पदस्थापन स्थान पर उक्त आदेश की पालना में दिनांक 25.08.2024 तक कार्यारम्भ करना आवश्यक होगा अन्यथा उक्त तिथि तक कार्यारम्भ नहीं किया गया तो फोरगो मान लिया जावेगा तथा चयनित वेतनमान के लाभ को विलम्बित कर दिया जावेगा। साथ ही राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 7(1) कार्मिक/ क—2 / 90 दिनांक 05.08.1998 के अनुसार 2 रिक्ति वर्ष तक पदोन्नति हेतु विचार नहीं किया जावेगा।
2. पदोन्नति स्थान पर कार्यारम्भ करने पर नियमानुसार यात्रा भत्ता देय है।

RajKaj Ref
9814308



3. कार्मिक विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 7(1) कार्मिक/क-2/95 दिनांक 20.06.2001 के अनुसार संबंधित कार्मिक के द्वारा इस आशय का शपथ पत्र कार्यारम्भ से पूर्व संस्था प्रधान को प्रस्तुत करना होगा कि दिनांक 01.06.2002 को या इसके पश्चात 2 से अधिक संतान नहीं है। तथा दो से अधिक संतान वाले की अधिसूचना दिनांक 16.03.2023 के अनुसार कार्यवाही की जानी है।
4. पदोन्नति पर रिक्ति वर्ष का परिलाभ विभागीय पदोन्नति आदेश राजकाज रेफ. 8390671 दिनांक 08. 07.2024 के अनुसार देय होगा।

विजय पाल सिंह

आयुक्त

संस्कृत शिक्षा राजस्थान जयपुर

क्रमांक:—निसर्णि / संस्था.—5 / डीपीसी / पार्ट पं.13121 / 2024 /

दिनांक:—

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है—

1. विशिष्ट सहायक, संस्कृत शिक्षामंत्री महोदय, राजस्थान शासन, जयपुर।
2. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, महोदया, संस्कृत शिक्षा राजस्थान, जयपुर।
4. उप शासन सचिव, (शिक्षा ग्रुप-6) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
5. संबंधित राजकीय आचार्य/शास्त्री संस्कृत महाविद्यालय।
6. संबंधित संभागीय संस्कृत शिक्षाधिकारी।
7. संबंधित कार्यालयाध्यक्ष/संस्था प्रधान का भेजकर लेख है कि पदोन्नत कार्मिकों की कार्यमुक्ति/कार्यारम्भ की सूचना निर्धारित अंतिम तिथि तक अनिवार्य रूप से निदेशालय को भिजवाना सूनिश्चित करे। साथ ही कार्मिक द्वारा पदोन्नति परित्याग करने की स्थिति में लिखित प्रार्थना पत्र अनिवार्य रूप से प्राप्त कर विभाग को भिजवाया जाना सुनिश्चित करे।
8. बेवसाईट प्रभारी, निदेशालय संस्कृत शिक्षा राजस्थान, जयपुर।
9. व्यक्तिगत पंजिका।
10. गोपनीय अनुभाग, निदेशालय संस्कृत शिक्षा राजस्थान, जयपुर।
11. संरक्षण पंजिका।

आयुक्त

संस्कृत शिक्षा राजस्थान जयपुर